न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज।

दाण्डिक संख्या–323/2025

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0के0आर0 040140522026

राज्य **बनाम** **आसिफ आदि**

अपराध संख्या–78/2012
धारा–401भा0द0सं0
थाना– जी0आर0पी0 कासगज
जनपद–कासगंज।

दिनांक–22–07–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **फरीद पुत्र रहीमउददीन** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपराध संख्या–78/2012, अन्तर्गत धारा–401 भा0द0सं0,थाना–जी0आर0पी0 कासगंज ,जिला कासगंज के प्रकरण में द्वितीय जमानत हेतु प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त नितान्त निर्दोष है प्रार्थी को उपरोक्त धाराओं में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। मामले का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रार्थी ने कथित घटना से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। मामले में आरोप पत्र.प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी दिनांक–16.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। प्रार्थी पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है। सवौच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.वी.आई. का लाभ प्रदान किया जाये। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्राप्त जमानत का दुरूपयोग किया गया है। जमानत का विरोध किया जाता है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये गये। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था किन्तु नियत तिथियों पर लगातार गैर हाजिर रहने पर न्यायालय द्वारा एन०बी०डब्ल्यू० जारी किये गये। अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक–16.07.2026 को आत्मसमर्पण किया गया । न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा–309 सी–आर.पी.सी. का वारण्ट बनाकर जेल भेजा गया। अभियुक्त दिनांक 16–07–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रस्तुत केस के तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त उपरोक्त को नई जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **फरीद पुत्र रहीमउददीन** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपराध संख्या–78/2012, अन्तर्गत धारा–401 भा0द0सं0,थाना–जी0आर0पी0 कासगंज ,जिला कासगंज के प्रकरण में द्वितीय जमानत हेतु प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। जिला कासगंज में मुवलिग 20,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल किये जाने एवं इस शर्त पर कि अभियुक्त दौरान संपूर्ण विचारण व्यक्तिगत रूप से अथवा जरिये अधिवक्ता अपनी उपस्थिति पत्रावली में सुनिश्चित रखेगा एवं न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर न्यायालय में उपस्थित आयेगा पर जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त का रिहाई परवाना अविलम्ब जिला कारागार कासगंज भेजा जाए।

प्रथम अपर सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज।